भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या: 150
गुरुवार, 5 दिसंबर, 2024/14 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

सबरीमाला विमानपत्तन का विकास

***150. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केरल में सबरीमाला-एरुमेली विमानपत्तन के विकास के कार्य में तेजी लाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो पर्यावरण मंजूरी, भूमि अधिग्रहण और अन्य आवश्यक मंजूरी की स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त परियोजना के कार्यान्वयन में आने वाली वर्तमान चुनौतियां क्या हैं और कितना विलंब हुआ है और उनके समाधान के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या उक्त परियोजना के संबंध में केरल राज्य सरकार द्वारा स्थानीय हितधारकों और विमानन विशेषज्ञों के साथ कोई परामर्श किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सबरीमाला से कनेक्टिविटी बढ़ाने, पर्यटन को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय आर्थिक विकास में सहायता के संदर्भ में सबरीमाला-एरुमेली विमानपत्तन के अपेक्षित फायदे क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

******

"सबरीमाला विमानपत्तन का विकास" से संबंधित श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा पूछे गए लोक सभा के दिनांक 05.12.2024 के मौखिक प्रश्न सं.150 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ङ): केरल सरकार (जीओके) ने कोट्टायम जिले के एरुमेली के पास कोट्टायम (सबरीमाला) में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास पर विचार किया है, जिसके लिए नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने अप्रैल 2023 में ही ग्रीनफील्ड विमानपत्तन (जीएफए) नीति 2008 के तहत अपेक्षित 'साइट क्लीयरेंस' प्रदान कर दिया है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने भी जुलाई 2023 में परियोजना के लिए संदर्भ शर्तें (टीओआर) प्रदान कर दी हैं और राज्य सरकार ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययन कराया है। जीएफए नीति, 2008 के अनुसार, भूमि अधिग्रहण, आरएंडआर, वित्तपोषण आदि सहित ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित हवाईअड्डा विकासकर्ता अथवा राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, की होती है। हवाईअड्डा परियोजनाओं के पूरा होने की समयसीमा कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण क्लीयरेंस सहित अनिवार्य क्लीयरेंस की उपलब्धता, वित्तीय समापन आदि। अब आगे, केरल राज्य सरकार की एजेंसी, केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (केएसआईडीसी) को परियोजना प्रस्तावक होने के नाते विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करनी होगी, जिसमें विकास योजना, परियोजना लागत एवं वित्तपोषण, यातायात अनुमान, परियोजना के पूरा होने की समयसीमा आदि जैसे विवरण शामिल होंगे। जीएफए नीति, 2008 के अनुसार, रिपोर्ट पूरी हो जाने पर, कार्य शुरू करने से पूर्व 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवेदन सहित यह रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत करनी अपेक्षित है। केएसआईडीसी ने सूचित किया है कि परियोजना से संबंधित भूमि के स्वामित्व (टाइटल) विवाद के अलावा परियोजना के पूरा होने में किसी भी कठिनाई या विलंब की आशंका नहीं है।

(च): हवाईअड्डे आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभर कर आए हैं तथा राष्ट्र के आर्थिक व्यवस्था पर इसका बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। नागर विमानन क्षेत्र एवं आर्थिक विकास के बीच संबंध सर्वविदित है। अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के अध्ययन से पता चलता है कि हवाई संपर्क का आर्थिक गुणक 3.25 और रोजगार गुणक 6.1 है। केएसआईडीसी ने बताया है कि प्रस्तावित कोट्टायम ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे की परिकल्पना सबरीमाला तीर्थयात्रियों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई), पर्यटकों और अन्य यात्रियों की सुविधा के लिए की गई है। इससे मध्य त्रावणकोर के तीर्थ स्थलों, जैसे वावरु मस्जिद, मैरामोन कन्वेंशन, एट्टूमनूर महादेव मंदिर आदि तक पहुंचना आसान हो जाएगा। यह हवाईअड्डा, कुमाराकोम बैकवाटर, मुन्नार हिल स्टेशन, गावी वन, थेक्कडी वन्यजीव अभयारण्य, पेरियार टाइगर रिजर्व, इडुक्की बांध आदि जैसे प्रमुख स्थलों को जोड़ेने के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इस प्रकार, कोट्टायम हवाईअड्डे से क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपेक्षा है।

******